

नामांकन प्रपत्र

बैंक जमा, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों के संबंध में नामांकन, नामांकन रद्दीकरण और नामांकन में परिवर्तन हेतु प्रपत्र

(बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45-ZA, 45-ZC और 45-ZE तथा बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025 के नियम 2 से 4 देखें)

शाखा : _____ खाता/ सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर संख्या: _____

सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर में जमा/वस्तु सहित बैंक ग्राहक विवरण

(*नामांकन प्रपत्र सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर में बैंक जमा/वस्तु के संबंध में है)

*सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तु छोड़ने वाले जमाकर्ता/व्यक्ति/लॉकर के किराएदार का नाम:

1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____

*जमा की प्रकृति/वस्तुओं की प्रकृति/लॉकर की प्रकृति:

*जो भी प्रासंगिक न हो उसे काट दें

2. नामांकन विवरण

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में ऊपर वर्णित विवरणों के संबंध में जमा राशि या सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं या लॉकर की सामग्री प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ/करते हैं:

क्र.सं.	(A)	1	2	3	4
नामांकित व्यक्ति का नाम	(B)				
पता	(C)				
&ईमेल/मोबाइल नंबर, यदि कोई हो	(D)				
बैंक प्राथमिक ग्राहक के साथ संबंध, यदि कोई हो।	(E)				
आयु	(F)				
क्रमिक नामांकन के मामले में प्राथमिकता का क्रम	(G)	प्रथम नामांकित व्यक्ति	दूसरा नामांकित व्यक्ति	तीसरा नामांकित व्यक्ति	चौथा नामांकित व्यक्ति
#बैंक जमा के मामले में जमा राशि का अनुपात प्रतिशत में	(H)				
नामांकित व्यक्ति का आधार (वैकल्पिक)	(I)				

*सुरक्षित अभिरक्षा या लॉकर में रखी वस्तु के संबंध में नामांकन के मामले में, यह पंक्ति दी जाएगी।

*और बैंक, आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर ई-नामांकन में इन विवरणों को संशोधित करने की अनुमति दे सकता है।

यदि खाताधारक जमा राशि या सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं या लॉकर की सामग्री प्राप्त करने के लिए केवल एक व्यक्ति को नामांकित करना चाहते हैं, तो पंक्ति (H) को 100% के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए और शेष पंक्तियों को उचित प्रमाणीकरण के तहत काट दिया जाना चाहिए।

नोट:

- (i) समकालिक नामांकन से तात्पर्य एक और नामांकित व्यक्ति के नामांकन से है, लेकिन यह संख्या चार से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका निर्धारित प्रतिशत और कुल योग 100% हो।
- (ii) क्रमिक नामांकन से तात्पर्य प्राथमिकता क्रम में एक व्यक्ति के पक्ष में नामांकन से है और यह भी चार नामांकित व्यक्तियों तक सीमित है; तथा निम्न क्रम में नामित व्यक्ति उच्च क्रम में नामित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी होगा।
- (iii) सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर में रखी वस्तुओं के संबंध में नामांकन के मामले में उपरोक्त पंक्ति (H) लागू नहीं होगा।
- (iv) जमा राशि के संबंध में, पंक्ति (G) और (H) में से केवल एक पंक्ति भरी जानी है।
- (v) पंक्ति (H) में सभी नामांकित व्यक्तियों का कुल प्रतिशत 100% के बराबर होना चाहिए।
- (vi) यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है, तो प्राथमिकता का क्रम पंक्ति (B) में दिए गए नामों के क्रम के अनुसार माना जाएगा।
- (vii) यदि नामिती/नामितियां अवयस्क हैं तो कृपया नीचे बिंदु संख्या 4 का संदर्भ लें।

3. नामांकन रद्द करना/नामांकन में परिवर्तन

- मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त नामांकन, सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर में जमा/वस्तु के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा किए गए सभी पूर्व नामांकनों, यदि कोई हों, के अधिक्रमण में किया गया है।
- मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त नामांकन से बैंक जमा/बैंक/लॉकर की अभिरक्षा में रखी वस्तु के संबंध में पूर्व के नामांकन रद्द हो जाएंगे।

4. अभिभावक का विवरण (यदि कोई नामित व्यक्ति नाबालिग है)

क्र.सं.	नामांकित व्यक्ति का नाम	अभिभावक का नाम	नामांकित व्यक्ति के साथ संबंध	पता.	अभिभावक का ईमेल/मोबाइल नंबर, यदि कोई हो	नामांकित व्यक्ति का आधार (वैकल्पिक)
1.						
2.						
3.						
4.						

5. घोषणा एवं हस्ताक्षर

- मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं/हम समझते हैं कि यह नामांकन उपर्युक्त खातों के लिए किसी भी पूर्व नामांकन का स्थान लेगा।

(व्यक्ति के अलावा किसी अन्य के पक्ष में नामांकन अमान्य है)

मैं/हम एतद्वारा सहमत और स्वीकार करते हैं कि नामिती और मेरे/हमारे/नाबालिंग के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा एक साथ किसी भी दावे की स्थिति में, नामिती के पक्ष में दावे का निपटान करके बैंक को मुक्त कर दिया जाएगा। हालाँकि, जमा राशि के संबंध में न्यायालय के आदेश के मामले में, बैंक ऐसे आदेश के अनुसार कार्य करेगा और मैं/हम बैंक द्वारा तदनुसार कार्यवाही करने के लिए सहमति देता हूँ/देते हैं।

आवेदक का नाम 1:	आवेदक का नाम 2:
(आवेदक 1 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)	(आवेदक 2 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)

आवेदक का नाम 3:	आवेदक का नाम 4:
(आवेदक 3 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)	(आवेदक 4 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)

(गवाहों की आवश्यकता केवल तभी होगी जब आवेदक अशिक्षित हो तथा अंगूठे का निशान लगा रहा हो)

प्रथम गवाह के हस्ताक्षर	दूसरे गवाह के हस्ताक्षर
नाम : _____	नाम : _____
पता: _____	पता: _____
_____	_____



मैं/हम इस खाते में किसी भी व्यक्ति को नामांकित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं।

आवेदक का नाम 1:	आवेदक का नाम 2:
(आवेदक 1 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)	(आवेदक 2 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)

आवेदक का नाम 3:	आवेदक का नाम 4:
(आवेदक 3 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)	(आवेदक 4 के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)

(गवाहों की आवश्यकता केवल तभी होगी जब आवेदक अशिक्षित हो तथा अंगूठे का निशान लगा रहा हो)

प्रथम गवाह के हस्ताक्षर	दूसरे गवाह के हस्ताक्षर
नाम : _____	नाम : _____
पता: _____	पता: _____

दिनांक : _____

स्थान : _____

जमाकर्ता(ओं) का नाम

@ ऐसे व्यक्ति के मामले में जो पढ़ और/या लिख नहीं सकता, हस्ताक्षर का अर्थ ऐसे व्यक्ति के अंगूठे का निशान है, जिसे दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

6. पावती (केवल बैंक उपयोग के लिए)

नामांकन प्रपत्र प्राप्त हुआ (नाम): _____ प्राप्ति की तिथि : _____ / _____ / _____

खाता/ सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर संख्या: _____

सीबीएस पर रिकॉर्ड किया गया: हाँ/नहीं संदर्भ संख्या: _____

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर : _____

नाम और पदनाम : _____

मुहर और तारीख : _____

बैंक ग्राहकों के लिए निर्देश :

1. आप स्पष्ट रूप से परिभाषित शेयर प्रतिशत के साथ एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं।
2. आप क्रमिक नामांकित व्यक्तियों की नियमित कर सकते हैं। क्रमिक नामांकन के मामले में, नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में ही प्रभावी होगा, जो नामांकन विवरण की उपरोक्त तालिका में उनके नाम की प्राथमिकता के क्रम में होगा। यह नोट किया जाए कि नामांकन क्रम में नीचे वाले किसी भी नामांकित व्यक्ति का नामांकन, उन सभी नामांकित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होगा जिनके नाम नामांकन क्रम में ऊपर हैं।
3. नामांकन ऊपर वर्णित सभी बैंक खातों/लॉकरों/वस्तुओं पर लागू होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।
4. यह फॉर्म या इसमें दिए गए विवरण, परिस्थितियों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जा सकते हैं, जहाँ बैंक ई-नामांकन की सुविधा प्रदान करता है।
5. यदि जमा राशि नाबालिग के नाम पर की जाती है या कोई वस्तु नाबालिग के नाम पर सुरक्षित रखी जाती है या लॉकर परी तरह से नाबालिग के नाम पर किए गए पर लिया जाता है, तो इस नामांकन फॉर्म पर नाबालिग की ओर से कार्य करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।